बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः–

संख्या–3/उ0स्था0(बैठक)03/2005–............................/श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त उद्योग विभाग, बिहार का मुख्य निगरानी पदाधिकारी मनोनीत किया जाता है।

2. मुख्य निगरानी पदाधिकारी की जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित है :–

(1) "निरोधात्मक निगरानी" के लिए आवश्यक कदम उठाना, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित रहेंगे :–

(क) ऐसे कारणों को समाप्त करने या कम करने के उद्देश्य से, जो भ्रष्टाचार अथवा कदाचार के लिए आधार प्रदान करते हों, विद्यमान संगठन एवं प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा,

(ख) ऐसे कार्यों जिनमें भ्रष्टाचार या कदाचार की मौजूदगी का आभास मिलता हो, के गुणत्व या गति में विफलताओं का पता लगाने के लिए नियमित एवं अचानक निरीक्षणों का नियोजन तथा कार्यान्वयन,

(ग) संवेदनशील स्थलों का निर्धारण, ऐसे अंगों का नियमित एवं अचानक निरीक्षण सुनिश्चित करना तथा उन व्यक्तियों की समुचित छानबीन करना जो ऐसे संवेदनशील पदों पर पदस्थापित हैं, जहाँ बड़ी संख्या में आम जनता से संबंध रखना पड़ता है,

(घ) संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले पदाधिकारियों पर उचित निगरानी बनाये रखना,

(ङ) सत्यनिष्ठा से संबंधित आचारण नियमावली, जिनमें निम्नांकित मुद्दे शामिल है, का समय पर परिपालन सुनिश्चित करना :–

(i) सम्पत्ति एवं अर्जन विवरणियाँ,
(ii) उपहार,
(iii) निजी प्रतिष्ठानों में नियोजित अथवा निजी व्यवसाय करने वाले संबंधीगण,
(iv) बेनामी।

(2) विभाग में निगरानी विभाग का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद उस पर तेजी से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना।

(3) विभागीय जाँच आयुक्त या विभागीय जाँच करनेवाले अन्य पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरकार का अंतिम आदेश प्राप्त करने के लिए अनुसरणात्मक कार्रवाई।

(4) विधान–मण्डल की समितियों के प्रतिवेदन तथा समाचार–पत्रों में प्रकाशित उनके विभाग से संबंधित सूचना और आरोपों की छानबीन तथा अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करना।

(5) निगरानी आयुक्त के मार्ग–दर्शन से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव द्वारा सामान्य प्रकृति की विभागीय कार्यवाहियों का निष्पादन।

उपर्युक्त के आलोक में संबंधित संचिकाएँ उप सचिव के माध्यम से मुख्य निगरानी पदाधिकारी को उपस्थापित किये जायेंगे तथा श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना संबंधित संचिका प्रधान सचिव को उपस्थापित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव
कृ०पृ०उ०

D:\Section-3\Devesh\Devesh 3.doc

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

3/उ0स्था0(बैठक)03/2005

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, इ–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा(भा0प्र0से0), संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री रंजीत कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, आंतरिक निगरानी कोषांग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अपर सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/निदेशक, उद्योग निदेशालय/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी(सरकार पक्ष), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3741/ पटना, दिनांकः– 30-08-18

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
29.8.18

राकेश/29–08–18

D:\Section-3\Devesh\Devesh 3.doc